



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082023-248397
CG-DL-E-29082023-248397

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त, 29, 2023/भाद्र 7, 1945

No. 494]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST, 29, 2023/BHADRA 7, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 2023

संख्या 08/2023-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 634(अ).—जबकि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से आयातित “फिशिंग नेट” (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत वस्तुओं से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5608 11 10 के अंतर्गत आता है के आयातों पर प्रारम्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अप्रैल, 2018, जिसे सा.का.नि. 359 (अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/22/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2022, जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जबकि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से विषयगत वस्तु के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/22/2022-डीजीटीआर,

दिनांक 08 जून, 2023, जिसे दिनांक 08 जून, 2023, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

- (i) प्रतिपाटन शुल्क लागू होने के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से विषयगत देश से और अप्रत्यक्ष रूप से मलेशिया के माध्यम से विषय वस्तु की पाटन जारी है;
- (ii) तथ्य यह है कि शुल्क लगाने के बाद मलेशिया के माध्यम से चीन में मूलतः उत्पादित वस्तुओं का पाटन आयात जारी है, इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि शुल्क हटा दिया गया तो विषयगत आयात की मात्रा बहुत अधिक दर पर और बहुत कम कीमतों पर बढ़ जाएगी;
- (iii) यदि मौजूदा प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो डंपिंग और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए, विषयगत देश में उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है;

और जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मलेशिया के माध्यम से प्रवंचना के मामले में चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित वहां से निर्यात होने वाले विषयगत वस्तु के आयातों पर, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5608 11 10 के अंतर्गत मलेशिया से मूलतः उत्पादित या वहां से आयातित निर्यात करने पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 20/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अप्रैल, 2018 जिसे सा.का.नि. 359(अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/01/2023- डीजीटीआर, दिनांक 21 फरवरी, 2023, जिसे 21 फरवरी, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा मलेशिया के माध्यम विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क को लगाने के मामले में, चीन जनवादी गणराज्य से उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को विस्तारित करने संबंधी आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक अन्वेषण आरम्भ किया था।

और जबकि, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में अधिसूचना संख्या 7/01/2023-डीजीटीआर, दिनांक 07 जून 2023 के माध्यम से प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष में नामित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि -

- (i) विषयगत वस्तुओं के मामले में व्यापार के पैटर्न में बदलाव आया है और व्यापार के पैटर्न में ऐसे बदलाव के लिए शुल्क लगाने के अलावा कोई आर्थिक औचित्य नहीं दिखता है;
- (ii) विषयगत वस्तुओं का आयात पाटन कीमतों पर हो रहा है;
- (iii) विषयगत वस्तुओं के आयात ने चीन गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर मौजूदा प्रतिपाटन उपायों के उपचारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है;
- (iv) पाटन मार्जिन न्यूनतम से ऊपर है, विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने में कमी के कारण वाणिज्यिक लाभ से उत्पादकों या निर्यातकों को विषयगत वस्तुओं का निर्यात करके लाभ हुआ है,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, जिसे संख्या सा.का.नि. 359 (अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के तहत, मलेशिया से भारत में मूलतः उत्पादित या निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए मौजूदा प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 27 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1), (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), संख्या 20/2018- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना के अधिक्रमण में जिसो सा.का.नि. संख्या 359 (अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, केंद्र सरकार एतद्वारा नामित प्राधिकारी के उपरोक्त अंतिम निष्कर्ष पर विचार करने के बाद विषयगत वस्तुओं पर अधिरोपित करती है, जिसका विवरण नीचे सारणी के कालम (3) में निर्दिष्ट है, जिसका विनिर्देश कालम (4) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती है; कालम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है,

कालम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कालम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कालम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, कालम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर दर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, कालम (11) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और उक्त तालिका के कालम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देश	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	मात्रा	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	56081110	फिशिंग नेट	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	2.19	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2	56081110	फिशिंग नेट	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	2.19	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
3	56081110	फिशिंग नेट	कोई भी	मलेशिया	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	2.19	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
4	56081110	फिशिंग नेट	कोई भी	मलेशिया	कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	2.19	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
5	56081110	फिशिंग नेट	कोई भी	मलेशिया और चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	2.19	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

***नोट-

- फिशिंग नेट जो कि केवल नायलॉन से बने हों- चाहे यह शतप्रतिशत (100%) शुद्ध हो या मिश्रित। मिश्रित के मामले में इसमें वे फिशिंग नेट भी आते हैं जिनमें भार के हिसाब से 50% या इससे अधिक का नायलॉन होता है।
 - विचाराधीन उत्पाद में एचडीपीई फिशिंग नेट शामिल नहीं हैं।
2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनियम दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनियम दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र की प्रस्तुति की तारीख होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/150/2023-टीआरयू]

नितीश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2023

No. 08/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 634(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/22/2022-DGTR, dated the 30th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th September, 2022, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Fishing Net” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 5608 11 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject countries) initially imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2018-Customs (ADD), dated the 10th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 359(E), dated the 10th April, 2018;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/22/2022-DGTR, dated the 08th June, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 08th June, 2023, has come to the conclusion that-

- (i) there is continued dumping of the subject goods both directly from the subject country and indirectly through Malaysia despite the anti-dumping duties in force;
- (ii) the fact that Chinese-origin dumped imports continued through Malaysia after the imposition of duties shows a strong likelihood that if the duties were to be revoked the volume of subject imports will increase at a much higher rate and at much lower prices;
- (iii) there is a likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/01/2023-DGTR, dated the 21st February 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 21st February 2023, in the matter of circumvention via Malaysia of the anti-dumping duty imposed on imports of subject goods originating in or exported from the China PR, had initiated an investigation to determine the need for extending the anti-dumping duty imposed on imports of subject goods, originating in or exported from the China PR, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2018-Customs (ADD), dated the 10th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 359(E), dated the 10th April, 2018, to the imports of subject goods falling under the tariff item 5608 11 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from Malaysia into India;

And whereas, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/01/2023-DGTR, dated the 07th June 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

- (i) there has been a change in pattern of trade in case of subject goods and there appears no economic justification other than imposition of duties for such change in pattern of trade;
- (ii) imports of subject goods are entering at dumped prices;
- (iii) the import of subject goods has undermined the remedial effect of existing anti-dumping measures on subject goods originating in or exported from China PR;
- (iv) dumping margin is above *de minimis*, the commercial gain due to erosion of anti-dumping duty on subject goods has benefitted producers or exporters by exporting subject goods,

and has recommended imposition of the existing anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the China PR, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2018-Customs (ADD), dated the 10th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 359(E), dated the 10th April, 2018, on the subject goods, originating in or exported from Malaysia into India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (1A) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rule 27 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2018-Customs (ADD), dated the 10th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 359(E), dated the 10th April, 2018, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters specified in the corresponding entry in column (8) and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in the corresponding entry in column (9), in the currency specified in the corresponding entry in column (11) and as per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, namely:-

TABLE

SNo	Tariff Item	Description of Goods	Specifi-cation	Country of Origin	Country of Export
1	2	3	4	5	6
1	5608 1110	Fishing Net	Any	China PR	Any country including China PR
2	5608 1110	Fishing Net	Any	Any country other than China PR	China PR
3	5608 1110	Fishing Net	Any	Malaysia	Malaysia
4	5608 1110	Fishing Net	Any	Malaysia	Any country
5	5608 1110	Fishing Net	Any	Any country other than Malaysia and China PR	Malaysia

Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
7	8	9	10	11
Any	Any	2.19	Kg	US Dollar
Any	Any	2.19	Kg	US Dollar
Any	Any	2.19	Kg	US Dollar
Any	Any	2.19	Kg	US Dollar
Any	Any	2.19	Kg	US Dollar

***Note -

- (i) fishing nets are made up of nylon only – whether 100% or blended. In case of blended, scope includes fishing nets containing 50% or more nylon by weight.
- (ii) Product under consideration does not include HDPE fishing net.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/150/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.